

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2015— ज्येष्ठ 7, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 5097/डी. 165/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-08-2014 को राज्यपाल एवं दिनांक 14-05-2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2015)

भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|---|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे. |
| छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (1927 का सं. 16) का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये. |
| धारा 26 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. |
| धारा 33 का संशोधन. | 4. | मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. |
| धारा 51 का संशोधन. | 5. | मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. |
| धारा 52 का संशोधन. | 6. | (1) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन उपज के संबंध में कोई वन अपराध किया गया है, तो वन उपज और ऐसे अपराध करने में प्रयुक्त समस्त औजार, नाव, यान, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य वस्तु को किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जा सकेगा.”

(2) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“(6) अभिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या उसके द्वारा 'स्वप्रेरणा' से कार्रवाई प्रारंभ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 52-क के अधीन यथाविहित अभिरक्षा में बनी रहेगी.

(7) जहां मामले पर अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिग्रहण या अन्वेषण में स्वयं शामिल है, वहां अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिये उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अंतरित कर सकेगा.” |

7. मूल अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2) तथा (6) में, शब्द “अधिहरण के आदेश” के स्थान पर, क्रमशः धारा 52-क का शब्द “प्राधिकृत अधिकारी के आदेश” प्रतिस्थापित किया जाये. संशोधन.
8. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 53 का संशोधन.
- “53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.- रेंजर से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, उसको (इस प्रकार अभिगृहीत संपत्ति को) धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समझ, जो उस अपराध का जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी संपत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिभूति का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर, निर्मुक्त कर सकेगा.”
9. मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द “वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से दण्डनीय होगा” के स्थान पर, शब्द “वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा” प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 63 का संशोधन.
10. मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 66-क का अन्तःस्थापन.
- “66-क. अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण. - कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबंधों या नियमों का उल्लंघन किया है.”
11. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 68 का संशोधन.
- “68. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को सशक्त कर सकेगी कि वह-
- (क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे; और
- (ख) जब कोई संपत्ति अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होने के कारण अभिगृहीत कर ली गई है, तब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिये जाने पर, किसी भी समय उसे निर्मुक्त करे.
- (2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का संदाय किए जाने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अभिगृहीत की गई संपत्ति, यदि कोई हो, निर्मुक्त कर दी जायेगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.
- (3) कोई भी वन अधिकारी, इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक कि वह रेंजर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का वन अधिकारी नहीं है, और उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी.

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, और जो सरकार की संपत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में जिसका मूल्य एक हजार रुपये से कम है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा और अभिगृहीत की गई संपत्ति, (वन उपज से भिन्न) यदि कोई है, दस हजार रुपये की राशि के संदाय पर या अभिगृहीत संपत्ति के मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्मुक्त की जा सकेगी. अभिगृहीत वन उपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी यदि वह यथास्थिति, सरकार की संपत्ति नहीं है या उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है.”

धारा 71 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 71 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“71. इस अधिनियम के अधीन नियत जुमाने को परिवर्तित करने की शक्ति. - राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) की धारा 12 के अधीन नियत जुमाने के बदले में, इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध किए गए प्रत्येक पशु के लिए ऐसा जुमाना उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे, किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :-

प्रत्येक हाथी के लिए	एक हजार रुपए,
प्रत्येक ऊंट के लिए	दो सौ पचास रुपए,
प्रत्येक भैंस के लिए	एक सौ रुपए,
प्रत्येक गौवंश, गधे, सुअर, मेढे, मेढी, भेड़, मेमने, बकरी या उसके मेमनो या अन्य पशु के लिए.	पचास रुपए

परन्तु परिबद्धता की कालावधि के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खर्च वनमण्डलाधिकारी द्वारा जुमाने के अतिरिक्त यथा निर्धारित की गई प्रचलित दरों पर वसूली योग्य होगी.”

धारा 77 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द “एक हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “दस हजार रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 5097/डी. 165/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2015)

THE INDIAN FOREST (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Indian Forest (Chhattisgarh Amendment) Act, 2014. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Official Gazette, appoint. | |
| 2. | The Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) (hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the State of Chhattisgarh, be amended in the manner hereinafter provided. | Amendment of Central Act, 1927 (No. 16 of 1927) in its application to the State of Chhattisgarh. |
| 3. | In sub-section (1) of Section 26 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted. | Amendment of Section 26. |
| 4. | In sub-section (1) of Section 33 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted. | Amendment of Section 33. |
| 5. | In sub-section (2) of Section 51 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted. | Amendment of Section 51. |
| 6. | (1) For sub-section (1) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 52. |
| | “(1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any reserved forest and protected forest or forest produce, the produce and all tools, boats, vehicles, ropes, chains or any other article used in committing such offence may be seized by any forest officer or police officer.” | |
| | (2) After sub-section (5) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be added, namely.- | |
| | “(6) The seized property shall continue to be under custody until confirmation of the order of the authorized officer by the Appellate Authority or until the expiry of the period for initiating ‘suo moto’ action by him whichever is earlier, as prescribed under Section 52-A. | |
| | (7) Where the authorized officer having jurisdiction over the case is himself involved in seizure or investigation, the next higher authority may transfer the case to any other officer of the same rank for conducting proceedings under this Section.” | |

- Amendment Section 52-A.** of 7. In sub-section (2) and (6) of Section 52-A of the Principal Act, for the words "order confiscation" the words "order of the authorized officer" shall be substituted, respectively.
- Amendment Section 53.** of 8. For Section 53 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely.-
- "53. Power to release property seized under Section 52.-** Any Forest officer of a rank not inferior to that of a Ranger, who, or whose sub-ordinate, has seized any tools, boats, vehicles or any other article under Section 52, may release the same, on the execution by the owner thereof, of a security, in a form as may be prescribed, of an amount equal to the value of such property, as estimated by such officer, for the production of the property so released, if and when so required, before the authorized officer under Section 52 or the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made."
- Amendment Section 63.** of 9. In Section 63 of the Principal Act, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- Insertion Section 66-A.** of 10. After Section 66 of the Principal Act, the following shall be inserted.-
- "66-A. Attempt or abetment of an offence.-** Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any provision of this Act or the rules made there under shall be deemed to have contravened such provisions or rules."
- Amendment Section 68.** of 11. For Section 68 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely.-
- "68. Power to compound offences.-**(1) The State Government may, be notification in the Official Gazette, empower a Forest-Officer.-
- (a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence, other than an offence specified in Section 62 or Section 63, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed, and
- (b) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same at any time before an order of confiscation is passed by the authorised officer on payment of the value thereof as estimated by such officer.
- (2) On the payment of such sum of money, or such value, or both, as the case may be, to such officer, the suspected person, if in custody, shall be discharged, the property, if any, seized shall be released, and no further proceeding shall be taken against such person or property.
- (3) A Forest-officer shall not be empowered under this section unless he is a Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger, and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub-section (1) shall in no case be less than two times the value of the forest produce :

Provided that in case the forest produce in respect of which an offence has been committed is not the property of the Government or in case the value of the forest produce is less than one thousand rupees, the suspected person may be discharged and the property (other than the forest

produce), if any, seized may be released on payment of the sum of ten thousand rupees or the value of the seized property, whichever is less. The seized forest produce may be released only if it is not the property of the Government or on the payment of the value thereof, as the case may be.”

12. For Section 71 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

Amendment of
Section 71.

“71. **Power to alter fixed under that Act.**- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that, in lieu of the fines fixed under Section 12 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871), there shall be levied for each head of cattle impounded under Section 70 of this Act, such fines as it thinks fit, but not exceeding the following, that is to say,-

For each elephant	One thousand rupees
For each camel	Two hundred and fifty rupees
For each buffalo	One hundred rupees
For each neat cattle, ass, pig, ram, ewe, sheep, lamb, goat, kid or any other cattle.	Fifty rupees

Provided that the cost of maintenance of such cattle during the period of impoundment shall be recoverable at the prevailing rates as fixed by the Divisional Forest Officer, in addition to the fine.”

13. In Section 77 of the Principal Act, for the words “one thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted.

Amendment of
Section 77.